बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक:-.................../
03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)-00/13 पटना, दिनांकः-.........................

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः— वितीय वर्ष 2017–18 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढ़िकरण की योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा उपवंधित शेष राशि 35.00 (पैतिस) लाख रूपये मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3068, दिनांक–05.10.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2017–18 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढिकरण की योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा उपवंधित शेष राशि 35 (पैतिस) लाख रूपये मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना सोसाईटी रजिस्ट्रेसन एक्ट 1860 अन्तर्गत निबंधित हैं, जिसका निवंधन सं0–5000015 वर्ष 2016–17 हैं।

3. जहाँ पर हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण, प्रचार–प्रसार, बदलते परिवेश में हस्तशिल्प के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादनुतनता, नई तकनीक की जानकारी, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, प्रशिक्षण, डिजाईन, विपणन की व्यवस्था, कच्चे माल की आपूर्ति, संवर्द्धन तथा हस्तशिल्पियों के आर्थिक विकास के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जिसका मुख्य उदेश्य राज्य के हस्तशिल्पियों का चौमुखी विकास कराना हैं।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संस्थान के The Memorandum of Association and Rules and Regulations द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप की जाएगी।

5. प्रस्तावित राशि का व्यय मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23 उपशीर्ष–0113, शिल्प अनु0 संस्थान की योजना का सुदृढिकरण, विपत्र कोड–23-2851001030113, विषय शीर्ष– 0113.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹35 लाख मात्र पुनिविनियोग के माध्यम से विभागीय स्वीकृतियादेश सं0 4876, दिनांक 16.11.2017 द्वारा उपवंधित राशि से विकलित होगा।

6. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 सं0, पटना को आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी पूर्व पावती रसीद के आधार पर बी0टी0सी0–42 में की जायेगी।

7. योजना के लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान के निदेशक–सह–सदस्य सचिव की होगी। उद्योग निदेशक इस योजना का अनुश्रवण करेगें। व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुये उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

8. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

10. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)-00/13 के पृष्ट–139/टि0 पर दिनांक 01.08.2017 को प्राप्त है। जिसका सं0प्रे0सं0–4051/IDC दिनांक 31.07.2017 है।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

11. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13* के **पृष्ट–156/टि0** पर **दिनांक–04.01.2018** को प्राप्त है जिसका **डायरी संख्या–01/OSD**, दिनांक–02.01.2018 है।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:–7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना, दिनांक.......................
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना, दिनांक.......................
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13

प्रतिलिपि:–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 195/ पटना, दिनांक 11.1.18
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/आय व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उ0म0शि0अनु0सं0, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/2018
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, **पटना।**